

**प्रेस नोट दिनांक 10.07.2024**

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं  
अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

दुष्कर्म के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घुईसरनाथ पुल के  
पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 08.05.2024 को वादिनी/अभियोगिनी को आरोपीगण द्वारा  
जबरन धमकी देकर दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की तहरीर के  
आधार मु0अ0सं0 87/24 धारा 376डी, 506 भादवि बनाम 02 व्यक्ति  
नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया  
कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम  
में थाना प्रभारी सांगीपुर उ0नि0 श्री मनीष त्रिपाठी मय हमराह का0  
अवतार सिंह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध  
व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 87/24 धारा 376डी,

506 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- संजू उर्फ शिवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र शिवराम विश्वकर्मा नि0ग्राम पूरे पितई थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ स्थायी पता ग्राम सिंहनी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 10.07.2024 को 10.20 बजे थानाक्षेत्र सांगीपुर के घुइसरनाथ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- संजू उर्फ शिवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र शिवराम विश्वकर्मा नि0ग्राम पूरे पितई थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ स्थायी पता ग्राम सिंहनी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री मनीष त्रिपाठी मय हमराह का0 अवतार सिंह, का0 मुकुल अग्ने थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

**थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या के प्रयास, घर में घुस कर मारपीट करने के प्रकरण में 01  
अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर के  
पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 06.04.2024 को वादी व उसके परिजनों को आरोपीगण द्वारा  
दिनांक 04.04.2024 की रात्रि में एक राय होकर जान से मारने की  
नियत से हमला करने संबंधी प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार  
मु0अ0सं0 108/24 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307,  
325, 427, 452, 201 भादवि बनाम 13 व्यक्ति नामजद व 7-8 व्यक्ति  
अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया  
कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम  
में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी  
रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक  
थाना रानीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 श्री गिरिजा प्रसाद सिंह मय हमराह  
उ0नि0 श्री राजनारायण यादव का0 नारायण जी द्वारा तलाश वांछित,  
वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान,

मु0अ0सं0 108/24 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 325, 427, 452, 201 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- रामसमाज गौतम पुत्र जोखई नि0ग्राम आमापुर बेर्ना थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 10.07.2024 को 10.20 बजे थानाक्षेत्र रानीगंज के अभियुक्त के घर के पास मोड़ से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामसमाज गौतम पुत्र जोखई नि0ग्राम आमापुर बेर्ना थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री गिरिजा प्रसाद सिंह मय हमराह उ0नि0 राजनारायण यादव, का0 नारायण जी, म0का0 सपना कुमारी थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

**थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

बहला फुसला/धमकी देकर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बशीरपुर तिराहा से रानीगंज जाने वाले मार्ग के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 09.07.2024 को वादी की नाबालिग लड़की को आरोपीगण द्वारा जबरन धमकी देकर दुष्कर्म करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 116/24 धारा 64, 115(2), 351(2) बीएनएस व धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट बनाम 03 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष दिलीपपुर उ0नि0 श्री विवेक कुमार मिश्र मय हमराह उ0नि0 सुरेश कुमार यादव का0 विनोद कुमार यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 116/24 धारा 64,

115(2), 351(2) बीएनएस व धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01  
वांछित अभियुक्त, 1- कलीम शेख पुत्र नसीम शेख उर्फ नसई नि0  
बशीरपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 10.07.2024  
को 10.35 बजे थानाक्षेत्र दिलीपपुर के बशीरपुर तिराहा से रानीगंज  
जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कलीम शेख पुत्र नसीम शेख उर्फ नसई नि0 बशीरपुर थाना  
दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री विवेक कुमार मिश्र मय हमराह उ0नि0 सुरेश  
कुमार यादव का0 विनोद कुमार, का0 कृष्णा सिंह, का0 विनोद कुमार  
यादव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

**थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़**

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ०नि० विधानचन्द्र मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) से संबंधित वारण्टी अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ शरद सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र कल्लू सिंह उर्फ गहरु सिंह नि० सण्डवा खास थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. भूपेन्द्र सिंह उर्फ शरद सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र कल्लू सिंह उर्फ गहरु सिंह नि० सण्डवा खास थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० श्री विधानचन्द्र राय मय हमराह हे०का० शोभनाथ राम म०का० रितू सिंह थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

**थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये थे शख्त निर्देश

हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

आलाकत्ल 01 लाठी व 01 डण्डा बरामद

दिनांक 09.07.2024 को आरोपीगण द्वारा थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रघना छतरपुर में वादी की पत्नी पर लाठी डण्डो से हमला कर उसकी हत्या कर दिया गया था

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के द्वारा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिये गये कड़े निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० विनोद कुमार यादव, उ०नि० रविन्द्र कुमार यादव, उ०नि० शुभनाथ साहनी, उ०नि० कौशल पति, म०उ०नि० अंकिता वाजपेयी, का० मनीष कुशवाह, का० अंकित यादव, चालक का० अक्षय चौधरी, पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 400/24 धारा 115(2), 352, 351(2), 351(3), 103(1) 3(5)बी०एन०एस० में संबंधित वांछित अभियुक्त 01- बुद्धिराम वर्मा पुत्र स्व० बैजनाथ वर्मा, 02- सुनीता वर्मा पुत्री बुद्धीराम वर्मा निवासीगण रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 03- प्रवेश सिंह पुत्र स्व० तेजबहादुर सिंह उर्फ कुल्लर निवासी पूरे खण्डेराय छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत बंधवा मोड़ ग्राम

रघना छतरपुर को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों की निशानदेही पर उक्त आलाकत्ल 01 लाठी व 01 डण्डा को ग्राम रघना छतरपुर के जंगल से बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

01- बुद्धिराम वर्मा पुत्र स्व0 बैजनाथ वर्मा निवासी रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

02- सुनीता वर्मा पुत्री बुद्धीराम वर्मा निवासी रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

03- प्रवेश सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह उर्फ कुल्लर निवासी पूरे खण्डेराय छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी:- आलाकत्ल 01 लाठी व 01 डण्डा बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.2024 को समय करीब 10.00 बजे आरोपीगणों द्वारा वादी राजू वर्मा पुत्र स्व0 बैजनाथ वर्मा निवासी रघना छतरपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के साथ पेडं को काटने को लेकर विवाद हो गया था जिसमें वादी की पत्नी को लाठी व डण्डों से मारपीट का घायल कर

देने से वादी की पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु०अ०सं० 400/24 धारा 115(2),352,351(2),351(3),103(1)3(5)बी०एन०एस० बनाम 04 नामजद के अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० विनोद कुमार यादव, उ०नि० रविन्द्र कुमार यादव, उ०नि० शुभनाथ साहनी, उ०नि० कौशल पति, म०उ०नि० अंकिता वाजपेयी, का० मनीष कुशवाह, का० अंकित यादव, चालक का० अक्षय चौधरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

### थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

चोरी के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी की पल्सर मोटर साइकिल बरामद

थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा जनता के सहयोग से 01 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद व 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 09.07.2024 को वादी की पल्सर मोटर साइकिल घर के सामन से चोरी करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 196/24 धारा 303(2),317(2) BNS बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे।

थाना प्रभारी कुण्डा के नेतृत्व में उ0नि0 अरूण कुमार सिंह द्वारा जनता के सहयोग से मु0अ0सं0 196/24 धारा 303(2),317(2) BNS से संबंधित अभियुक्त रंजीत सरोज पुत्र शिव प्रसाद सरोज निवासी ग्राम अठईसा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरनामगंज से गिरफ्तार किया गया ।

बरामदगी-

01 चोरी की पल्सर मोटर साइकिल बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रंजीत सरोज पुत्र शिव प्रसाद सरोज निवासी ग्राम अठईसा थाना  
महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अरूण कुमार सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

